इसे बेवसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 157] भोपाल, सोमवार, दिनांक 15 जून 2026—ज्येष्ठ 25, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 जून 2026

क्र. 5820—91—इक्कीस—अ (प्रा.).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक २ सन् २०२६

मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अध्यादेश, २०२६

["मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १५ जून, २०२६ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यतः, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें,

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक १ सन् १९८२ का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा ६ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ६ में, उप-धारा (१) में, परन्तुक के अंत में, पूर्ण विराम के स्थान पर कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी लिखत या लिखतों के वर्ग को, इस भाग के अधीन देय उपकर की देयता और भुगतान से छूट प्रदान कर सकेगी.".

भोपाल :

तारीख ११ जून, सन् २०२६

मंगुभाई छ. पटेल,
राज्यपाल.

भोपाल, दिनांक 15 जून 2026

क्र. 5820–91–इक्कीस–अ (प्रा.).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (क्रमांक 2 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

NO. 2 OF 2026

THE MADHYA PRADESH UPKAR (SANSHODHAN) ADHYADESH, 2026.

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 15th June, 2026.]

Promulgated by the Governor in the seventy-seventh year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :-

Short title.

1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Upkar (Sanshodhan) Adhyadesh, 2026.

Madhya Pradesh Act No. 1 of 1982 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982) (hereinafter referred to as the principal Act), shall have effect subject to the amendment specified in section 3.

Amendment of Section 9.

3. In section 9 of the principal Act, in sub-section (1), at the end of the proviso, for full stop colon shall substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:-

"Provided further that the State Government may, by notification, exempt any instrument or class of instruments form the liability and payment of cess payable under this part.".

Bhopal,
Dated the, 11th June 2026.

MANGUBHAI C. PATEL,
GOVERNOR.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.